10.07.2024:—पत्रावली आज पेशी मे आई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे निवेदन किया कि पक्षकारो के मध्य मे आपस मे राजीनाम हो गया है इसलिए वाद पत्र मे आगे काई कार्यवाही नही करना चाहते। इसलिए वाद पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज (विड्रा) फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर उकत प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादीगण के फर्द अहकाम पर अगुठा/हस्ताक्षर करवाये गयें। वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता श्री आशीष भीडासरा द्वारा कि गई। पक्षकारान का राजीनागा हो जाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वादी का वाद पत्र मौजूदा सूरत मे विड्रा (खारिज) किया जाता है [illegible]वली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज [illegible] दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.07.26 11:47:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
नुहाजगढ़